न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रसद विविध :: 03/2018 ::

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीः—

सरकार जरिये जिला प्रवर्तन निरीक्षक, पाली

ओमप्रकाश पुत्र रामाकिशन वैष्णव, निवासी मैन बाजार, रोहट हाल मालिक मैसर्स सम्पत बर्तन भण्डार मैन बाजार रोहट जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक : 21.06.2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म मैसर्स सम्पत बर्तन भण्डार मैन बाजार रोहट जिला पाली (राज.) से वक्त निरीक्षण दिनांक 11.04.2018 को मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी बी.पी.सी. के जिनमें एक खाली एवं एक में 10.70 किग्रा गैस भरी हुई एवं 2 छोटे अप्रामाणिक सिलेण्डर (5 किग्रा) तथा दो रिफिलींग नलियां का अवैध संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 11.04.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु वह मय जिला रसद अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) के साथ रोहट जिला पाली स्थित मैसर्स सम्पत बर्तन भण्डार मैन बाजार रोहट जिला पाली (राज.) पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री ओमप्रकाश पुत्र रामाकिशन वैष्णव उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही फर्म का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री अमराराम पुत्र गुदड़राम निवासी नई आबादी, रोहट की उपस्थिति में फर्म की जांच करने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी बी.पी.सी. के जिनमें एक खाली एवं एक में 10.70 किग्रा गैस भरी हुई एवं 2 छोटे अप्रामाणिक सिलेण्डर (5 किग्रा) तथा दो रिफिलींग नलियां पायी गयी। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स श्री सिद्धी भारत गैस, रोहट के प्रतिनिधी श्री रेवतसिंह पुत्र नारायणसिंह निवासी ग्राम सिलारी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री रेवतसिंह पुत्र नारायणसिंह निवासी ग्राम सिलारी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर हाल गोदाम कीपर मैसर्स श्री सिद्धी भारत गैस, रोहट को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर व अवैध रिफिलिंग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डरो दो छोटे अप्रमाणिक गैस सिलेण्डर(5किग्रा) एव दो रिफिलींग नलियां को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी गैस चुल्हे रिपेयर करने, बेचने का कार्य करता था तथा दिनांक 11.04.2018 को प्रवर्तन निरीक्षक व जिला रसद अधिकारी उसकी दुकान पर आये

क्रमशः पृष्ठ :: 2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

तथा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी बी.पी.सी. के जिनमें एक खाली एवं एक में 10.70 किग्रा गैस भरी हुई एवं 2 छोटे अप्रामाणिक सिलेण्डर (5 किग्रा) तथा दो रिफिलींग नलियां जब्त की। अप्रार्थी ने अब दुकान बन्द कर दी है तथा अपने गांव मलाड तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर चला गया है तथा वहां पर खेती बाड़ी का कार्य करता है। अतः जब्त सुदा सामग्री के संबंध में विनम्र भाव रखते हुए प्रकरण का निस्तारण करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी बी.पी.सी. के जिनमें एक खाली एवं एक में 10.700 किग्रा गैस भरी हुई, 2 छोटे अप्रामाणिक सिलेण्डर (5 किग्रा) तथा दो रिफिलींग नलियां उनके व्यावसायिक परिसर मैसर्स सम्पत बर्तन भण्डार, मैन बाजार रोहट में पाये गये, जो उसके द्वारा स्वीकार्य तथ्य है। अप्रार्थी की बर्तन की दुकान है तथा उसका निवास स्थान भी दुकान के आस–पास होना अंकित नहीं है और न ही अप्रार्थी द्वारा ऐसा जाहिर किया गया है। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र एवं गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष अथवा इस न्यायालय में आदिनांक पेश नहीं किए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी की दूकान से प्राप्त सिलेण्डर उसके घरेलू उपयोग के नहीं है तथा अप्रार्थी उनका उपयोग अवैध रिफिलींग के लिए ही करता था एवं अप्रमाणिक गैस सिलेण्डर भी रिफिलींग नली से भरकर अवैध रूप से गैस का व्यवासय करता था। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री ओमप्रकाश द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डरों, अन्य छोटे अप्रमाणिक सिलेण्डरों तथा अन्य जब्त सुदा दो रिफिलींग नलियों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी बी.पी.सी. के जिनमें एक खाली एवं एक में 10.70 किग्रा गैस भरी हुई एवं 2 छोटे अप्रामाणिक सिलेण्डर (5 किग्रा) तथा दो रिफिलींग नलियां पायी गयी को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि को एवं अन्य 2 छोटे खाली गैस सिलेण्डर अप्रमाणिक (5 किग्रा) तथा 02 रिफिलींग नलियां को नीलाम कर उससे प्राप्त समस्त राशि राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर पाली (राज.)